प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2023

प्र0सू0रि0 सं.....312/23..... दिनांक.....27/12/23.....

2. (1) अधिनियम – भ्र.नि. अधिनियम 1988 धाराएं – 13 (1) (डी),13 (2)

(2) अधिनियम – भारतीय दण्ड सहिता धाराएं –120 बी

(3) अधिनियम..... धाराएं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं धाराएं.....

3 (क) घटना का दिन.....वर्ष 2016 पहर..... बजे से ..... तक

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना..... दिनांक ..... समय.....

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या.....1128..... समय.....5.40 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई.– लिखित/मौखिक – लिखित परिवाद

5. घटना स्थल का ब्यौरा

(क) थाने से दिशा एवं दूरी – करीब **60**.. किलो मीटर

..... बीट संख्या.....

(ख) पता :–दी श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैक लि.श्रीगंगानगर

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उसे

थाने का नाम..... जिला.....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला)

(क) नाम – श्री राजवीरसिंह

(ख) पिता/पति का नाम – पुत्र श्री तारासिंह

(ग) जन्म तिथि/वर्ष उम्र 39 साल (घ) राष्ट्रीयता....भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या..... जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....

(च) व्यवसाय.

(छ) पता – 19 पीटीडी, तहसील रायसिंहनगर पुलिस थाना रायसिहनगर जिला श्री गंगानगर ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

01. श्री एम.आर. खन्ना पुत्र श्री गजानन्द, उम्र–60 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 धानक मोहल्ला, जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन उप रजिस्ट्रार/प्रबन्ध निदेशक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर

02. लाभार्थीगण एंव अन्य

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण.....

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण .....

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य.....

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

निवेदन है कि श्री राजवीरसिंह पुत्र श्री तारासिंह जाति मेहरा उम्र 32 वर्ष निवासी 19 पीटीडी, तहसील रायसिंहनगर पुलिस थाना रायसिहनगर जिला श्री गंगानगर द्वारा श्री एम.आर. खन्ना तत्कालीन प्रबन्धक निदेशक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. एवं अन्य के विरूद्ध एक लिखित शिकायत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय भिजवाने पर मुख्यालय से परिवाद संख्या 270/2018 दिनांक 27.06.2018 पंजीबद्ध होकर अति. पुलिस अधीक्षक(परिवाद) के आदेश क्रंमांक 10725–26 दिनांक 29.06.18 के संलग्न ब्यूरो चौकी हनुमानगढ़ पर प्राप्त हुई। परिवादी ने परिवाद में अकिंत किया कि राजस्थान सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार जयपुर द्वारा 23 से 25 जुन 2016 में व्यवस्थापको/सहायक व्यवस्थापको को नियमितिकरण के आदेश एमडी श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैक लि. को दिये गये परन्तु एमडी श्री मंगतराम खन्ना ने नियमो को ताक पर रख सभी व्यवस्थापको/सहायक व्यवस्थापको को नियमित कर दिया गया। आज तक लगातार एमडी श्री मगतराम खन्ना 200 व्यक्तियों की नियमितिकरण के आदेश कर चुके है। 23 से 25 जुन 2016 स्क्रीनिंग की तय तारीख से दो सप्ताह पहले मिटिंग बुलाकर स्क्रीनिंग कर दी गयी तथा स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष (प्रशासन) जिला कलक्टर को भी मिटींग में बुलाना उचित नही समझा। एमडी

मंगतराम खन्ना द्वारा जो व्यवस्थापको/सहायक व्यवस्थापको को नियमित किया गया है। उनकी योग्यता की अंक तालिका की जांच आज तक नही करवाई गई। जिनमें कई व्यवस्थापको ने फर्जी मार्कशीट(दिल्ली बोर्ड) की योग्यता में लगाई है। तथा मै राजवीर सिह पुत्र तारासिह फर्जी व्यवस्थापक कृष्णलाल/जगदीश चन्द की शिकायत लगातार 16 अगस्त 2016 से कर रहा था। परन्तु एमडी साहब ने लगातार इन्कार करता रहा और मै इस कार्य मे लगा रहा और फर्जी व्यवस्थापक के पद पर कामयाब रहा। जिसे 10.08.17 को हटा दियां। जब 23 से 25 जुन 2016 में स्क्रीनिंग की गई उस समय व्यवस्थापको / सहायक व्यवस्थापको से 2 से 5 लाख रूपये लिए गये। नियमो को अनदेखी की गई। महाप्रबन्धक श्री मंगतराम खन्ना ने इस नियमितिकरण पदों पर रिक्त सम्बधियों को भी अनुशंषा की गई। रायसाहब क्र.स. 06 व उसका भाई राजेन्द्र कुमार क्र.स.19 पर दर्ज है। दोनो को ही एमडी श्री मंगतराम खन्ना ने व्यवस्थपक पदो पर नियमित किया। राजेन्द्र कुमार स्वामी सन 2010 तक तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर में स्टाम्प विक्रेता था उसे व्यवस्थापक पद पर लेने हेतू रिकार्ड में बैक डोर इन्टरी दिखाई गई। वर्तमान में 15 पीटीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति मे व्यवस्थापक है। सहकारी समितियों में परिवारवाद भी चल रहा है। जिसमें श्री मंगतराम खन्ना, महेन्द्र स्वामी, रायसाहब प्रमुख है। इन्होने अपने भाई अपने भतीजे, अपने लडको को व्यवस्थापक/ सहायक व्यवस्थापक लगा दिया गया है। क्योंकि इन्हे परीक्षा से नही गुजरना पडता पहले अपने परिवार के सदस्यों को अस्थाई लगाते है और बाद में नियमित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों वर्तमान मे भी यह प्रक्रिया चल रही है। कृपया करके सीबीआई जांच की जावें, जो आज तक व्यवस्थापक रखे गये है।

परिवाद की सत्यापन कार्यवाही के दौरान पाया कि जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सहायक व्यवस्थापक व व्यवस्थापक की अस्थायी नियुक्ति के सहकारी समिति का संचालक मण्डल सहकारी विभाग के द्वारा जारी नियमों के अन्तर्गत एक प्रस्ताव लेकर सहायक व्यवस्थापक एवं व्यवस्थापक की नियुक्ति करता है। व्यवस्थापकीय सेवा नियम 2008 के नियम संख्या 33 एवं 34 में स्क्रीनिंग योग्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों के अनुसार उक्त समितियों में पूर्व में कार्यरत व्यक्तियों को स्क्रीनिंग के माध्यम से समितियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में व्यवस्थापक अथवा सहायक व्यवस्थापक पदों पर नियमितीकरण की अनुशंषा इन नियमों के अनुसार किये जाने के प्रावधान है। रजिस्ट्रार के परिपत्र क्रमांक फा. 97(26)सविरा/ बैंक–3/2008 सेवानियम दिनांक 17.05.2010 द्वारा राज्य की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के कर्मचारियों के नियम एवं सेवाशर्तों 2008 की शर्त संख्या 33 एवं 34 व सहकारी पत्रांक फा. 97(26)सविरा/बैंक–3/2008 सेवाशर्ते/2012/पार्ट–2 दिनांक 23.05.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया था। इन संशोधनों के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु निम्नलिखित मुख्य प्रावधान है :–

1. स्क्रीनिंग हेतु वे कर्मचारी योग्य होंगे जिनकी नियुक्ति सेवा नियम, 2008 प्रभावी होने से पूर्व रजिस्ट्रार महोदय द्वारा जारी सेवा नियमों के अन्तर्गत सहायक व्यवस्थापक के पद पर नियमित रूप से हुई हो तथा जिनके द्वारा इस बाबत निर्धारित शर्तें पूर्ण की जाती हो।
2. ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित संचालक मण्डल द्वारा हुई हो तथा पिछले 03 वर्ष से लगातार समिति के व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हों किन्तु नियुक्ति दिनांक 01.04.2007 से पहले की हो तथा जिनके द्वारा उक्त से सम्बन्धित समस्त योग्यताएं पूर्ण की जाती हो।
3. ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा सम्बन्धित पैक्स/लैम्पस में नियमित रूप से सहायक व्यवस्थापक पद पर चयनित होकर डीफैक्टो रूप में व्यवस्थापक के कार्य एवं पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए व्यवस्थापक के रूप में समिति की ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षरित रहे हों किन्तु जिनकी नियुक्ति 01.04.2014 से पहले की हो तथा जिनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई हो। सहकारी विभाग के पत्रांक क्रमांक फा. 97(26)सविरा/बैंक–3/2008 सेवाशर्ते/2012 पार्ट–2 दिनांक 23.05.2016 के द्वारा जिनकी नियुक्ति 01.04.2014 से पहले की हो तथा जिनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई हो।
4. ऐसे व्यक्ति को सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा गत 05 वर्षों की अवधि में व्यवस्थापक के रूप में लेनदेन की मान्यता दी हुई हो।
5. जो तत्समय जारी व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों की चयन, नियुक्ति व सेवाशर्तें 2008 दिनांक 23.08.2008 के अनुसार व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी आवश्यक है। इससे पूर्व सेवाशर्तें 2003 दिनांक 02.07.2004 के अनुसार व्यवस्थापक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी (10+2) परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगी।
6. ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2000 की धारा 57 का निर्णय अथवा धारा 55 या 57 के अन्तर्गत जांच लम्बित नहीं होना अपेक्षित है।
7. सम्बन्धित वित्तदाता बैंक व संचालक मण्डल द्वारा सेवायें संतोषप्रद होने का प्रमाण–पत्र हो।

परिवाद के सत्यापन से पाया कि परिवादी श्री राजवीर सिह द्वारा सी.एम.हैल्पलाईन पर शिकायत की गई थी जिस पर परिवाद संख्या एच 4702/2017 दिनांक 19.12.17 दर्ज होकर सहकारी विभाग को प्राप्त हुई थी। सहकारी विभाग द्वारा उक्त शिकायत अपने पंत्राक फा. सविरा/बैंक–6/सी.एम.हैल्पलाईन/2017 के द्वारा जांच हेतु श्री भूपेन्द्र ज्याणी प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ को भिजवायी गई। जिनके द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट अपने पंत्राक 1312 दिनांक 19.05.18 को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर को भिजवायी गई थी। जांच में पाया था कि दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग हेतु दिनांक 23.06.2016 से 25.06.2016 तक व 08.07.2016 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त कमेटी की बैठकों में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. प्रशासक एवं जिला कलक्टर श्री पी.सी. किशन, (तत्कालीन)
2. सम्बन्धित समिति अध्यक्ष,
3. सम्बन्धित इकाई अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज), श्री एम.आर. खन्ना उप रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर एवं श्री देवेन्द्र सिंह खिंची, उप रजिस्ट्रार अनूपगढ। (तत्कालीन)
4. प्रबन्ध निदेशक बैंक श्री एम.आर. खन्ना (तत्कालीन)

उक्त स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से क्रंमांक 11312 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा 25 व्यक्तियों के पत्रांक 11090 दिनांक 28.06.2016 द्वारा 21 व्यक्तियों के पत्रांक 10850 दिनांक 27.06. 2016 द्वारा 82 व्यक्तियों के, पत्रांक 12924 दिनांक 13.07.2016 द्वारा 12 व्याक्तियों के, पत्रांक 16977 दिनांक 10.08.2016 द्वारा 08 व्यक्तियों के, पत्रांक 17755 दिनांक 19.08.2016 द्वारा 01 व्यक्ति के एंव पत्रांक 17596 दिनांक 19.08.2016 द्वारा एक व्यक्ति के इस प्रकार कुल 150 व्यक्तियों के नियमितीकरण की अनुशंसा की गई। जिनमें 52 व्यवस्थापक, 92 सहायक व्यवस्थापक व 6 सैल्समेन की अनुशंसा की गई।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया कि गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक में जून 2016 में आयोजित 200 व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग में गम्भीर अनियमितताएं कारित किया जानाः– जिसके संबंध में जांच व रिकॉर्ड से पाया गया कि जिन समितियों में पहले से व्यवस्थापक कार्यरत है वहां पर सहायक व्यवस्थापक/सेल्समेन से रूप में 97 व्यक्तियों के नियमितीकरण की सिफारीश की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एक समिति में एक ही व्यक्ति को व्यवस्थापक अथवा सहायक व्यवस्थापक के रूप में नियमित किया जाना था किन्तु कई समितियां ऐसी है जहां एक से अधिक व कुछ समितियों में तीन–तीन कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है तथा पद के दूरूपयोग की श्रेणी में आता है।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग हेतु तय तारीख 23 से 25 जून 2016 से दो सप्ताह पहले मिटिंग बुलाकर स्क्रीनिंग करना व जिला कलैक्टर को मिटिंग में नहीं बुलानाः– जिसके संबंध में जांच व रिकॉर्ड से पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 11.06.2016 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रसारित कर दिनांक 23.06.2016 से 25.06.2016 तक स्क्रीनिंग हेतु तारीख निश्चित की गई थी तथा कमेटी द्वारा उक्त तारीखों व इसके बाद ही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है। अतः यह आरोप सिद्ध नहीं होता है।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग किये गये व्यवस्थापकों/सहायक व्यवस्थापकों की अंकतालिकाओं की जांच नहीं करनाः– जिसके संबंध में जांच व रिकॉर्ड से पाया गया कि 91 अपात्र पाये गये व्यक्तियों के अलावा निम्न व्यक्तियों की शैक्षणिक स्नातक होने की योग्यता पूर्ण नहीं करते है–

01. श्रीदेवीचंद शर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज शर्मा, 4 एचएच गंगानगर ईकाई
02. श्री भीमसेन पुत्र श्री रामप्रताप, लखाहाकम गंगानगर ईकाई
03. श्री गुरमंट सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह पाबूकर गंगानगर ईकाई
04. श्री विजयपाल पुत्र श्री रविकृष्ण शर्मा, 42एच गंगानगर ईकाई
05. श्री औमप्रकाश पुत्र श्री जसवंत सिंह, ततारसर, गंगानगर ईकाई (संदिग्ध स्नातक डिग्री)
06. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, साहिबसिंहवाला, गंगानगर ईकाई
07. श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह 9 एच बडा, गंगानगर ईकाई
08. श्री जसकौर सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह,2 एमएल डी अनुपगढ ईकाई
09. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री काशी राम, 1 एसकेएम अनुपगढ ईकाई
10. श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रामप्रताप, 28 एएस अनुपगढ ईकाई
11. श्री संदीप सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह, सतराना, अनुपगढ ईकाई

उक्त में क्रम संख्या 01 से 07 तक की स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में प्रबन्ध निदेशक व ईकाई अधिकारी के रूप से डा0 एम.आर.खन्ना द्वारा हस्ताक्षर किये गये है व क्रम संख्या 08 से 11 तक की स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में प्रबन्ध निदेशक के रूप में डा0 एम. आर. खन्ना व ईकाई अधिकारी के रूप में श्री देवेन्द्र सिंह खिंची द्वारा हस्ताक्षर किये गये है।उक्त सभी व्यक्तियों का नियमितीकरण शेक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करने के बावजूद भी किया गया है। इनमें से कुछ क्रम संख्या 01,07 एंव 08 की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के लिए समिति द्वारा पूर्व की तारीखों में

अवैतनिक नियुक्ति के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। अवैतनिक नियुक्ति का प्रावधान ग्राम सेवा सहकारी समिति के सेवा नियमों में नहीं है। अवैतनिक नियुक्ति का प्रस्ताव समिती द्वारा शेक्षणिक योग्यता को पूर्ण करने के उद्देश्य से पूर्व की तारीखों में किया गया है जिसके लिए समिति अध्यक्ष व कार्यकारीणी दोषी है तथा उक्त अवैतनिक प्रस्तावों को शैक्षणिक योग्यता के योग्य मानने के लिए डा0 एम.आर.खन्ना व श्री देवेन्द्र सिंह खिंची दोषी है तथा इनका यह कृत्य पद के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया कि डा0 मंगतराम खन्ना द्वारा इस नियमितीकरण पदों पर रक्त सम्बन्धियों की भी अनुशंषा करनाः– जिसके संबंध में जांच व रिकॉर्ड से पाया गया कि बैंक के पत्रांक 10501 दिनांक 25.06.2016 के क्रम संख्या 31 के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि श्री विनोद कुमार खन्ना पुत्र श्री मनीराम खन्ना का नियमितीकरण किया गया है। तहकीकात करने से ज्ञात हुआ कि श्री विनोद कुमार खन्ना पुत्र श्री मनीराम खन्ना तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक डा0एम.आर.खन्ना के भाई नहीं है। अतः शिकायतकर्ता का आरोप जांच से सही नहीं पाया गया।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया कि क्रम संख्या 06 पर श्री रायसाहब पुत्र श्री राम गोपाल व उसका भाई क्रम संख्या 19 पर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामगोपल दोनों को ही व्यवस्थापक पद पर नियमित करनाः– जिसके संबंध में जांच व रिकॉर्ड से पाया गया कि बैंक के पत्रांक 10501 दिनांक 25.06.2016 के अध्ययन करने पर यह सिद्ध होता है कि क्रमांक 06 पर राय साहब पुत्र श्री रामगोपाल और क्रमांक 19 पर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम गोपाल दोनों सगे भाई है और दोनों का 15 पी.टी.डी. ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक पद पर नियमितीकरण की अनुशंषा की गई है जो कि नियम विरूद्ध है तथा पद के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता का आरोप सिद्ध पाया गया जिसके लिए डा0 एम.आर.खन्ना दोषी है।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया कि अनियमित व्यवस्थापक को नियमित करनाः– जिसके संबंध में जांच व रिकॉर्ड से पाया गया कि स्क्रीनिंग कार्यवाही के दौरान पूर्व में माह मई 2010 में की गई स्क्रीनिग कार्यवाही के प्रकरण में कतिपय ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय दिनांक 21.03.2010 की पालना में पुनः सुनवाई कर गुण अवगुण के आधार पर उनकी स्क्रीनिंग कार्यवाही को वैध मानते हुए उनके नियमितीकरण की अनुशंसा की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

01. आदेश क्रमांक 10501 दिनांक 25.06.2016– 79
02. आदेश क्रमांक 10687 दिनांक 25.06.2016– 02
03. आदेश क्रमांक 11239 दिनांक 29.06.2016– 01
04. आदेश क्रमांक 12974 दिनांक 13.07.2016– 77
05. आदेश क्रमांक 13948 दिनांक 18.07.2016– 14
06. आदेश क्रमांक 17028 दिनांक 10.08.2016– 01

कुल – 174

बैंक के रिकार्ड का अध्ययन करने पर पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति के रिकार्ड का अध्ययन कर योग्यता निर्योग्यता के आधार पर निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिया जाना था, जबकि उक्त आदेशों में किसी प्रकार की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत नहीं की गई, महज प्रबन्ध निदेशक द्वारा सीधे ही आदेश पारित कर दिये गये। बैठक आहूत करने का कोई रिकार्ड बैंक में उपलब्ध नहीं है। डा0 एम.आर.खन्ना का यह कृत्य अनियमितता एंवम पद के दूरूपयोग की श्रेणी में आता है।

<u>जाच निष्कर्षः–</u>

स्क्रीनिंग कमेटी की जांच में निम्न निष्कर्ष सामने आये हैः–

01. रजिस्ट्रार महोदय द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.05.2011 पत्रांक फा. 97(26)सविरा/बैंक–3/2008 सेवा शर्तें/2012/पार्ट–2 दिनांक 23.05.2016 व परिपत्र दिनांक 16.05.2010 द्वारा स्क्रीनिंग हेतु जारी निर्देशों व शर्तों की घोर अवहेलना डा0 एम.आर. खन्ना द्वारा व ईकाई अधिकारी अनूपगढ श्री देवेन्द्र सिंह खिंची द्वारा की गई है।
02. व्यवस्थापकीय सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण का प्रावधान समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर कार्यरत व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक के लिए ही है। बैंक में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त 91 व्यक्तियों को व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक के रूप में नियमितीकरण करने तथा पूर्व की जांच में अनियमित घोषित किये गये 174 व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के फेंसले की आड में बिना स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत किये नियमित करने के लिए दोषी है।
03. स्क्रीनिंग कार्य हेतु शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, बैंक से लेन–देन की अनुमति, डीफैक्टों के रूप में व्यवस्थापक का कार्य करने एंव आडिट रिपोर्ट में सिग्नेटरी आदि तथ्यों की घोर अवहेलना की गयी है।

04. स्क्रीनिंग हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जाना था। बैंक द्वारा साक्षात्कार लिया गया है अथवा नहीं लिया गया इसकी कोई ज़ानकारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।
05. स्क्रीनिंग कार्यों में नियमों की पालना नहीं करने के लिए बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक डा0 एम.आर.खन्ना पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष भी नियम विरूद्ध स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न करवाने के लिए उत्तरदायी है।

परिवाद के सत्यापन के दौरान उपलब्ध हुए मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्यों से पाया कि कुल 150 व्यक्तियों के नियमितीकरण की अनुशंसा की गई। परन्तु जिनमें 52 व्यवस्थापक, 92 सहायक व्यवस्थापक व 06 सेल्समैन के नियमितीकरण की अनुशंषा की गई। सहकारी विभाग के पत्र क्रमांक फा. 97 (26)सविरा/बैंक–3/2008/सेवा शर्ते/2012/पार्ट–2 दिनांक 23.05.2016 की पालना में समिति में एक मुख्य कार्यकारी की स्क्रीनिंग कर नियमित किया जाना था। जिन समितियों में पहले से व्यवस्थापक कार्यरत हैं वहां पर सहायक व्यवस्थापक/ सेल्समैन के रूप में 87 व्यक्तियों के नियमितीकरण की अनुशंषा की गई है। सहायक व्यवस्थापक/सेल्समैन के पद हेतु अनुशंषा नहीं की जानी थी। क्योंकि मुख्यकार्यकारी के पद पर नियमितीकरण की अनुशंसा की जानी थी और इन समितियों में पूर्व में ही मुख्य कार्यकारी कार्यरत था। इस कारण पद खाली होने पर ही नियुक्ति दी जानी थी। नियमितीकरण की अनुशंसा के अनुसार उपरोक्त सभी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान मिलना शुरू हो गया था। 09 अन्य समितियां जिन में मुख्य कार्यकारी कार्यरत नहीं था, में 11 सहायक व्यवस्थापको की अनुशंसा कर दी गयी जो पूर्ण पात्रता नहीं रखते थे। इस प्रकार उपरोक्त 98 (81+6+11) कर्मचारियों की अनुशंसा नियम विरूद्ध की गई है। दिनांक 11.06.2016 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रसारित कर दिनांक 23.06.2016 से 25.06.2016 तक स्क्रीनिंग हेतु तारीख निश्चित की गई थी तथा कमेटी द्वारा उक्त तारिखों व इसके बाद भी दिनांक 19.08.2016 तक नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग किये गये व्यवस्थापकों/सहायक व्यवस्थापकों की ना तो शैक्षणिक योग्यता और ना ही पात्रता के अन्य बिन्दुओं की जांच की गई। जिसके सम्बन्ध में रिकार्ड का अध्ययन किया गया उपरोक्तानुसार 98 अपात्र पाये गये व्यक्तियों के अलावा निम्न व्यक्तियों की व्यवस्थापक नियुक्त होने की पात्रता भी पूर्ण नहीं थी :–

1. श्री देवीचन्द शर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज शर्मा, 4 एचएच ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता सीनियर सकैण्डरी है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। कम शैक्षणिक योग्यता का लाभ लेने के लिये दिनांक 27.05.2008 को समिति में अवैतनिक नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया है, जबकि अवैतनिक नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्ताव पारित कर समिति अध्यक्ष श्री सत्यपाल और श्री देवीचन्द शर्मा व्यवस्थापक स्वयं द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
2. श्री भीमसेन पुत्र श्री रामप्रताप, लखाहाकम ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता 10+2 है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री इन्द्रसेन और श्री भीमसेन व्यवस्थापक स्वयं द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं। व्यवस्थापक पद की नियुक्ति के संबंध में इन्द्रसेन व भीमसेन के विरूद्ध ब्यूरो में प्रकरण संख्या 307/17 दर्ज होकर ब्यूरो में अन्वेक्षणाधीन है।
3. श्री गुरमन्ट सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, पाबूसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) इनकी शैक्षणिक योग्यता BA 1st Year है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री गुरजन्ट सिंह और श्री गुरमन्ट सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
4. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, साहिबसिंहवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) इनकी शैक्षणिक योग्यता BA 1st Year है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। प्रस्ताव पारित कर समिति अध्यक्ष श्री छिन्द्र पाल सिंह एवं श्री राजेन्द्र सिंह व्यवस्थापक द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया है।
5. श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, 9 एच बडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता सीनियर सकैण्डरी है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। कम शैक्षणिक योग्यता का लाभ लेने के लिये दिनांक 11.05.2008 को समिति में अवैतनिक नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि अवैध है। प्रस्ताव पारित कर समिति अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह एवं श्री बलजीत सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
6. श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, थादेवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता BA 1st Year है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। समिति आडिट रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री सुखजीत सिंह और श्री परमजीत सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।

7. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, 10 सरकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता BA है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी परन्तु व्यवस्थापक द्वारा डिग्री अथवा अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री अल्लादित्ता खां और श्री सुभाषचन्द्र व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
8. श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री पलविन्द्र सिंह, 15 ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते है परन्तु आडिट रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की पात्रता पूर्ण नहीं है। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह और श्री हरविन्द्र सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
9. श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, संघर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते है परन्तु आडिट रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की पात्रता पूर्ण नहीं है। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री दलीप कुमार और श्री विजेन्द्र कुमार व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
10. श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, कोठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते है परन्तु आडिट रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की पात्रता पूर्ण नहीं है। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सिंह और श्री निर्मल सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
11. श्री मान सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, लालगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते है परन्तु आडिट रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की पात्रता पूर्ण नहीं है। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री खीयाराम और श्री मान सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
12. श्री लाल चन्द पुत्र श्री मुखराम, बीरमाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते है परन्तु आडिट रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की पात्रता पूर्ण नहीं है एवं समिति में पूर्व में ही अन्य व्यवस्थापक कार्यरत था। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्रीमती गुड्डी देवी और श्री लालचन्द व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
13. श्री नरसी सुथार पुत्र श्री प्रेम चन्द, ठाकरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (गंगानगर इकाई) की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते है परन्तु आडिट रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की पात्रता पूर्ण नहीं है। अवधि की पात्रता पूर्ण करने के लिए दिनांक 16.09.2013 का अवैतनिक नियुक्ति का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पारित कर समिति अध्यक्ष श्री गोपीराम और श्री नरसी सुथार व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
14. श्री जसकौर सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह, 2 एमएलडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (अनूपगढ इकाई) की शैक्षणिक योग्यता सकैण्डरी है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। कम शैक्षणिक योग्यता का लाभ लेने के लिये दिनांक 31.03.2007 को समिति में अवैतनिक नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया है, जोकि अवैध है। प्रस्ताव पारित कर समिति अध्यक्ष श्री संजय शर्मा और श्री जसकौर सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
15. श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री काशी राम, 1 एसकेएम ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (अनूपगढ इकाई) की शैक्षणिक योग्यता BA 1st Year है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री गिरदावर सिंह और श्री सुदेश कुमार व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
16. श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रामप्रताप, 28 एएस ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (अनूपगढ इकाई) की शैक्षणिक योग्यता 10+2 है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री गिरधारीलाल और श्री राजीव कुमार व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।
17. श्री संदीप सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह, सतराना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 (अनूपगढ इकाई) की शैक्षणिक योग्यता 10+2 है जबकि व्यवस्थापक के पद हेतु पात्रता स्नातक थी। प्रस्ताव भिजवाकर समिति अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह और श्री संदीप सिंह व्यवस्थापक स्वंय द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया हैं।

उक्त में क्रम संख्या 01 से 13 तक की स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में प्रबन्ध निदेशक व इकाई अधिकारी गंगानगर के रूप में डा0 एम.आर. खन्ना द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे व क्रम संख्या 14 से 17 तक की स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में प्रबन्ध निदेशक के रूप में डा0 एम.आर. खन्ना व इकाई अधिकारी अनूपगढ़ के रूप में श्री देवेन्द्र सिंह खिंची द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। उक्त सभी व्यक्तियों का नियमितीकरण पात्रता पूर्ण नहीं करने के बावजूद भी किया गया था। अवैतनिक नियुक्ति का प्रावधान ग्राम सेवा सहकारी समिति के सेवा नियमों में नहीं है। अवैतनिक नियुक्ति का प्रस्ताव समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करने के उद्देश्य से पूर्व की तारीखों में किया गया था जिसके लिए समिति अध्यक्ष और सम्बन्धित आवेदनकर्ता व्यवस्थापक दोषी थे।

स्क्रीनिंग कार्यवाही के दौरान पूर्व में माह मई 2010 में की गई स्क्रीनिंग कार्यवाही के प्रकरण में कतिपय ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय दिनांक 21.03.2010 की पालना में पुनः सुनवाई कर गुण अवगुण के आधारो पर उनकी स्क्रीनिंग कार्यवाही पर निर्णय लिया जाना था। जिसमें विभिन्न आदेशों में 174 कर्मचारियों की नियमितीकरण की अनुशंषा की गई थी। बैंक के रिकार्ड का अध्ययन करने पर पाया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति के रिकार्ड का अध्ययन कर योग्यता निर्योग्यता के आधार पर निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिया जाना था, जबकि उक्त आदेशों में किसी प्रकार की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत नहीं की गई, महज प्रबन्ध निदेशक द्वारा सीधे ही उक्त 174 कर्मचारियों को पात्र मानते हुए आदेश पारित कर दिये गये। जो डॉ0 एम.आर. खन्ना द्वारा जारी किया गया था, जो उनके द्वारा अपने पद का दुरूप्योग किया गया।

स्क्रीनिंग हेतु जारी निर्देशों व शर्तों की घोर अवलहेलना प्रबन्ध निदेशक व उप रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर के रूप में डा0 एम.आर. खन्ना द्वारा व इकाई अधिकारी अनूपगढ श्री देवेन्द्र सिंह खिंची द्वारा की गई। व्यवस्थापकीय सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण का प्रावधान समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर कार्यरत व्यवस्थापक/ सहायक व्यवस्थापक के लिए ही है। बैंक में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त 98 व्यक्तियों को सहायक व्यवस्थापक/सेल्समैन के रूप में नियमितीकरण करने तथा पूर्व की जांच में अनियमित घोषित किये गये 174 व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की आड़ में बिना स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत किये नियमित कर नियम विरूद्ध कार्य किया गया है। स्क्रीनिंग कार्य हेतु शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, बैंक से लेन–देन की अनुमति, डीफैक्टों के रूप में व्यवस्थापक का कार्य करने एवं ऑडिट रिपोर्ट में सिग्नेटरी आदि तथ्यों की घोर अवहेलना की गयी। स्क्रीनिंग हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जाना था। कमेटी द्वारा साक्षात्कार लिया गया है अथवा नहीं लिया गया है, इसकी कोई जानकारी बैंक रिकार्ड से नहीं होती है।

स्क्रीनिंग कार्यों में नियमों की पालना नहीं करने के लिए बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक डा0 एम.आर. खन्ना पूर्णरूपेण उत्तरदायी थे। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में डा0 एम.आर. खन्ना का ये दायित्व था कि समस्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार जांच कर ही स्क्रीनिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाता। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसलिए डा0 एम. आर. खन्ना द्वारा अनियमितता एवं पद का दुरूपयोग कर नियम विरूद्ध कार्य किया गया है। इकाई अधिकारी अनूपगढ श्री देवेन्द्र सिंह खिंची द्वारा स्क्रीनिंग कमेंटी की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आवेदन पत्रों की जांच करने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी। उनके द्वारा कत्तव्यों की अवहेलना की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष श्रीमान प्रशासक एवं जिला कलक्टर (तत्कालीन) श्री पी.सी किशन द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रो की जांच करने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी। बैठक कार्यवाही जिस पर स्क्रीनिंग कमेटी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं उस पर क्रंमाक तारीख अंकित नहीं है एंव ना ही हस्ताक्षरों के नीचे कोई दिनांक अंकित है। उक्त स्क्रीनिंग के लिए किसी भी प्रकार की नोटशीट का संधारण पत्रावलियों में नही पाया गया है।

इस प्रकार परिवाद के सम्पूर्ण सत्यापन से पाया कि स्क्रीनिंग कार्यों में नियमों की पालना नहीं कर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने अपने पद का दुरूपयोग कर अपात्र व्यवस्थापक, सहव्यवस्थापक, सैल्समेन कुल 115 व्यक्तियों की स्क्रीनिगं कर दी गई जिसके लिए श्री एम.आर. खन्ना उप रजिस्ट्रार/ प्रबन्ध निदेशक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर एंव श्री देवेन्द्र सिह खिंची उप रजिस्ट्रार अनूपगढ़ व संबंधित लाभार्थीगण एंव अन्य के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं सपठित 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। आरोपी श्री देवेन्द्र सिह खिंची का दिनांक 16.09.2019 को देहान्त हो चुका हैं। अतः आरोपी श्री एम.आर. खन्ना पुत्र श्री गजानन्द, उम्र–60 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 धानक मोहल्ला, जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन उप रजिस्ट्रार/ प्रबन्ध निदेशक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर व संबंधित लाभार्थीगण एंव अन्य के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं सपठित 120 बी भादस के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते कायमी मुकदमा श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(भूपेन्द्र कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं सपठित धारा 120 बी आई.पी.सी. में आरोपी श्री एम.आर. खन्ना पुत्र श्री गजानन्द, तत्कालीन उप रजिस्ट्रार/प्रबंध निदेशक दी गंगानगर केन्द्रीय सहाकरी बैंक लिमिटेड़ श्रीगंगानगर व लाभार्थीगण एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 312/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:-3180-83 दिनांक 27.12.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।